निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 94/अपील14(4)/15

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

बनाम

मांगीलाल आ0 धनजी जाति राजपूत नि0 दोबड़ा(मृतक)

का0मु0

01. नेनसिंह आ0 मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड़
02. शिवसिंह आ0 मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड
03. तोफानसिंह आ0 मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड़
04. लक्ष्मणसिंह आ0 मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड़
05. कृपालसिंह आ0 मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड़
06. कालाबाई पुत्री मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड़
07. लाभूबाई पुत्री मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड
08. दरियावबाई पत्नी मांगीलाल नि0 दोबडा मजरा बजरपुर तहसील पचपहाड

प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत्।

उपस्थित :–

पेरोकार सरकार

श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थीगण 1,2,6,7,8 की और से

–: निर्णय :– **दिनांक 07.05.2018**

यह प्रकरण तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा राज0भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आंवटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमों में निवेदन किया गया है कि ग्राम दोबडा की आराजी खसरा न0 162/2 रकबा 5.16 भूमि का आंवटन आवंटी मांगीलाल को दिनांक 13.05.86 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 36 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आवंटित आराजी को आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किया है। आवंटन की शर्त 4(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारित योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्पो0 1,2,6,7 व 8 की और से अभिभाषक श्री विजय जैन उपस्थित हुए। रेस्पो0 3 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए व रेस्पो0 5 के कुंवारा फोत होने की रिपोर्ट तामील कुनिन्दा द्वारा की गई, इस कारण उनका पक्ष नही सुना जा सका।

जिला कलक्टर
झालावाड़

तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपने प्रा0पत्र की पुष्टि में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.2015, जमाबन्दी सं0 2068–71 नामान्तकरण संख्या 36 व 185 ग्राम दोबडा, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी सं0 2039–42,2044–47, 2048–51, 2052–55,2056–59, 2060–63, 2064–67, 2070 पेश की गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दोराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी को भूमि का आवंटन सन 1986 में किया गया था। आवंटी या उसके वारिसान द्वारा आज तक आवंटित भूमि पर काश्त नही की है। आवंटिति द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन की शर्तो के अनुसार आंवटी को आंवटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एंव उपयोग करना आवश्यक है। आवंटित भूमि आज तक पड़त पड़ी हुई है आवंटन निरस्त योग्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन खारिज किया जावे। इस पर अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया कि आवंटित भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है,आवंटित भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में ही चली आ रही है। अप्रार्थी को भूमि का आवंटन सन 1986 में किया गया था व आवंटन पश्चात आंवटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर ज्वार पैदा की गई थी, आवंटन बहुत पुराना हो चुका है। अप्रार्थीगण का भूमि पर नियमित कब्जा होने से खातेदारी अधिकार दिया जावे। प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपहाड़ अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवंम अभिभाषक उभय पक्ष पर गोर किया । पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट हे कि आंवटी द्वारा आवंटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एंव उपयोग नही किया गया है जो आवश्यक है। उक्त भूमि पर लगभग 300 पेड लगे हुए हैं, रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि में बजरपुरा से मिश्रोली व दोबडा जाने के रास्ते निकले हुए हैं। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गेर खातेदारी में ही दर्ज है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना साबित है। अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पिड़ावा स्वीकार किया जाता है व ग्राम दोबडा की आराजी खसरा न0 162/2 रकबा 5.16 भूमि का आंवटन जो दिनांक 13.05.86 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार पिड़ावा को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड